छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर–492002 (छ.ग.)

क्रमांक एफ 4–21/2022/इ.सू.प्रौ/56 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनाँक 14 /03/2023

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषयः– "Call Before u Dig" (CBuD) Mobile App हेतु जिला स्तरीय नामांकन बाबत्।

उपरोक्त विषयांकित के संबंध में दिनांक 22.03.2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा Call Before u Dig" (CBuD) Mobile App का राष्ट्रीय स्तर पर लोकार्पण किया जायेगा। राज्य सरकार के समस्त विभागों/संस्थाओं तथा अन्य एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा सीबीयूडी (CBuD) ऐप का उपयोग किया जाना हैं, जिसमें सार्वजनिक उत्खनन (शासकीय या निजी) करने के इच्छुक एजेंसियों को किसी भी प्रकार की खुदाई केवल सीबीयूडी (CBuD) मोबाईल एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन तथा पूर्व सूचना के बाद ही किया जा सकेगा।

2/ राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (चिप्स) द्वारा सीबीयूडी (CBuD) ऐप हेतु जिलों में पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा समस्त संबंधित खुदाई कराने वाले विभाग एवं कार्य एजेंसियों जैसे लोक निर्माण विभाग (PWD), जल जीवन मिशन (JJM), नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत इत्यादि विभाग/कार्यालयों के नोडल अधिकारी, समस्त निर्माण ठेकेदार एवं JCB मालिकों को सीबीयूडी (CBuD) ऐप में पंजीकृत करना आवश्यक है।

3/ सीबीयूडी (CBuD) Mobile App के उपयोग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अपने जिले में सुनिश्चित करें–

I. दिनांक 20 मार्च 2023 के अंत तक सीबीयूडी ऐप पर राज्य में उपयोग करने वाले एजेंसियों तथा संबंधित सभी अधिकारियों के संपर्क विवरण की मैपिंग कर ऐप में अपलोड (upload) किया जावे।

II. उत्खनन करने वालों को दिनांक 20 मार्च 2023 तक सीबीयूडी ऐप पर खुद को पंजीकृत करने और उत्खनन गतिविधियों को शुरू करने से पहले सीबीयूडी ऐप के माध्यम का उपयोग करने के लिए एजेंसियों को अनिवार्यतः निर्देशित किया जावे।

III. खुदाई करने वाली एजेंसियों को राज्य में सार्वजनिक भूमि/सड़क पर कोई भी खुदाई शुरू करने से पहले सीबीयूडी ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

IV. उत्खननकर्ताओं का ऐप उपयोग न करने के लिए दंड के प्रावधान की जानकारी दी जावे एवं उपयोग करने वाले को प्रोत्साहित किया जाये।

V. सीबीयूडी (CBuD) मोबाईल ऐप स्थानीय निकायों के लिये होने के कारण, किसी भी उपयोगकर्ता एजेंसी को सपोर्ट करता है, जैसे कि पानी की पाइप लाइन, सीवरेज, गैस पाइप लाइन, इलेक्ट्रिक केबल आदि, जो विभिन्न राज्य सरकार के स्वामित्व या प्रबंधन में हैं। अतः भारतीय टेलीग्राफ (इन्फ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी) नियम 2022 के अनुसार ही कार्य किया जाना है।

क्रमशः–2

4/ उपरोक्तानुसार समस्त विभागीय कार्य एजेंसी, स्थानीय निकायों एवं निजी कार्य एजेंसी/ठेकेदारों को दिनांक 20 मार्च 2023 के पूर्व सीबीयूडी (CBuD) मोबाईल ऐप के उपयोग करने के लिए अनिवार्यतः सूचित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जावे। उपरोक्त कार्यालयों एवं निकायों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर जिलों में पंजीकृत समस्त ठेकेदार एवं जेसीबी/खुदाई के यंत्र (excavator) मालिकों के पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर, उसकी सूची दिनांक 20 मार्च 2023 तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर को उपलब्ध क[illegible]

(रितेश कुमार अग्रवा
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग